रजिस्ट्री सं० डी० 221 | REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 88] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 8, 1972/माघ 19, 1893

No. 88] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 8, 1972/MAGHA 19, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 8th February 1972

S.O. 127(E).—In exercise of the powers conferred by section 109 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby makes the following Order, namely:—

Every child of a certified goldsmith, who is not eligible to apply for the grant of a certificate under section 39 of the said Act, shall be exempted from the provisions of sub-section (1) of section 39 subject to the conditions that—

(i) such child only assists such certified goldsmith to make, manufacture, repair or process any article or ornament, and

(ii) the certified goldsmith gets the name of such child endorsed on his certificate.

[No. F. 143/9/71-GC. II. (1).]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1972

का० आ० 127(अ).—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, जिसकी यह राय है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

किसी प्रमाणित स्वर्णकार की प्रत्येक ऐसी संतान को, जो उक्त अधिनियम की धारा 39 के अधीन प्रमाण-पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है, धारा 39 की उपधारा (1) के उपबन्धों से छूट दी जाएगी, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी कि

(i) ऐसी संतान कोई वस्तु या आभूषण बनाने, विनिर्माण करने, मरम्मत करने या प्रसंस्करण करने में ऐसे प्रमाणित स्वर्णकार को केवल सहायता करे, और

(ii) प्रमाणित स्वर्णकार ऐसी संतान का नाम अपने प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित करा लें।

[सं० फा० 143/9/71-जी० सी० II(i)]

S.O. 128(E).—In exercise of the powers conferred by section 114, read with clause (10) of sub-section (4) of section 39 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules, to amend the Gold Control (Grant of Certificates) Rules, 1970, namely:—

1 **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Gold Control (Grant of Certificates) Amendment Rules, 1972

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. After sub-rule (b) of rule 3 of the Gold Control (Grant of Certificates) Rules, 1970, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(c) a person, not being a minor, who is the child of a certified goldsmith."

[No. 143/9/71-GC II(ii).]

का० आ० 128(अ).—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 39 की उपधारा (4) के खण्ड (10) के साथ पठित, धारा 114 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, स्वर्ण नियंत्रण (प्रमाणपत्र की मंजूरी) नियम, 1970 में संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(1) इन नियमों का नाम स्वर्ण नियंत्रण (प्रमाणपत्र की मंजूरी) संशोधन नियम, 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 स्वर्ण नियंत्रण (प्रमाणपत्र की मंजूरी) नियम, 1970 के नियम 3 के उपनियम (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) कोई व्यक्ति, जो अवयस्क नहीं है, और वह किसी प्रमाणित स्वर्णकार की संतान है।"

[सं० फा० 143/9/71-जी०सी० II (ii)]

S.O. 129(E).—In exercise of the powers conferred by section 109 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government, being of opinon that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. S.O. 220, dated the 8th January, 1971, namely:—

In the said notification, for the words "three years", the words "five years" shall be substituted.

[No. 143/9/71-GC 11(iii).]

का० आ० 129(अ).—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, जिस की यह राय है कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक और समीचीन है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 8 जनवरी, 1971 की अधिसूचना सं० का० आ० 220 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

"उक्त अधिसूचना में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "पांच वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।"

[सं० फा० 143/9/71–जी० सी०–II (iii)]

S.O. 130(E).-In exercise of the powers conferred by section 109 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government, being of opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby makes the following Order, namely:—

That a person referred to in clause (c) of sub-section (4) of section 39 of the said Act shall be exempted from the operation of the time limit specified in that clause if he makes an application on or before the 31st day of December, 1972, for the grant of a certificate referred to in sub-section (1) of the said section 39.

[No. F./143/9/71-GC. II(iv).]
M. A. RANGASWAMY, Jt. Secy.

का० आ० 130(अ).—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, जिसकी यह राय है कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति को उस खण्ड में विनिर्दिष्ट समय की परिसीमा के प्रवर्तन से छूट दी जाएगी यदि वह उक्त धारा 39 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए, 31 दिसम्बर 1972 को या उसके पूर्व आवेदन करे।

[सं० फा० 143/9/71–जी० सी० II (iv)]
एम० ए० रंगास्वामी, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972